राज्यपाल अभिभाषण–2016
अत्यावश्यक/आज ही जारी हो।

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः– प0 1(6)मं.मं./2015 जयपुर, दिनांकः 10/12/2015

–:: परिपत्र ::–

राजस्थान विधानसभा का **आगामी सत्र (बजट सत्र) माह फरवरी, 2016** में आरम्भ होने की संभावना है, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण पढ़ा जावेगा। इस अभिभाषण में यथा संभव राज्य सरकार द्वारा वित्तीय **वर्ष 2015–16 की महत्वपूर्ण उपलब्धियों एवं नीतिगत निर्णयों का संक्षेप में विवरण होगा।** इसके अतिरिक्त आगामी वित्तीय वर्ष में जिन योजनाओं एवं कार्यक्रमों को आरम्भ किया जावेगा उनका भी संक्षिप्त विवरण होगा।

अतः निवेदन है कि माननीय राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में सम्मिलित करने हेतु आपके विभाग से संबंधित सामग्री सरल हिन्दी भाषा में संकलित कर **तीन–तीन प्रतियों में मय साफ्ट कॉपी के** निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए, इस सचिवालय को **दिनांक 31 दिसम्बर, 2015** तक आवश्यक रूप से प्रेषित की जायेः–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विशिष्ठ शासन सचिव अपने अधीन विभागाध्यक्षों को यह निर्देश दें कि वे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सम्मिलित किये जाने योग्य सामग्री तत्काल प्रशासनिक विभाग को भिजवा दें।

2. विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर प्रशासनिक सचिवों को भेजी जाने वाली उस महत्वपूर्ण सूचना का ही संकलन करें, जिसका अभिभाषण में सम्मिलित किया जाना वांछनीय हो और जो विभाग की उपलब्धियों/भावी कार्यक्रमों पर प्रकाश डालती हो।

3. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विशिष्ठ शासन सचिव अपने स्तर पर केवल उतनी ही सामग्री का अभिभाषण के लिये चयन करें, जिसका अभिभाषण में सम्मिलित किया जाना परमावश्यक हो। **यथा संभव संकलित सामग्री 10 लाईन तथा एक पृष्ठ से अधिक ना हो, ताकि उसको अधिक संक्षिप्त करने में इस सचिवालय को अधिक काट–छांट नहीं करनी पड़े।**

क्रमशः.......................2

4. राज्यपाल अभिभाषण के लिये भेजी जाने वाली सामग्री में जहां कहीं भी उपलब्धियों अथवा धनराशि से संबंधी आंकड़े दिये जावें, वे शब्दों में अंकित किये जावें।

5. इस सचिवालय को भेजी जाने वाली सामग्री पर संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर प्रेषित करें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें एवं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सम्मिलित की जाने वाली विषय सामग्री सरल हिन्दी भाषा में निर्धारित तिथि दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 तक मय सोफ्ट कॉपी इस सचिवालय को निश्चित रूप से प्रेषित की जावें।

(अजीत कुमार सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

1. अतिरिक्त मुख्य सचिवगण।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग एवं प्रकोष्ठ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, राजकॉम्प, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय की वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(हरी बाबू शर्मा)
सलाहकार